कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 1337 /12.1 देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.03 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/12810/2015)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 12.01.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 12.01.2023** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1155/12–1(2) दिनांक 03.11.2023 से प्राप्त आख्या के कम में निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

Sn	Querry	Querry Removed
1	राज्य सरकार द्वारा अभी तक विस्तृत Reclamation Plan इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह विस्तृत reclamation plan इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग का विस्तृत Reclamation Plan इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
2	मार्ग के संरेखण का विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया गया है कि अधिकांश आबादी वर्तमान मार्ग के किनारे स्थित है तथा प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु पर केवल कुछ ही structures दिखाई दे रहे हैं, इस हेतु प्रस्तावित संरेखण उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः संबन्धित डी0एफ0ओ0 से अनुरोध है कि वह प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर रिर्पोट इस कार्यालय में प्रेषित करते हुए मार्ग का उद्देश्य तथा आवश्यकता को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–02)**
3	प्रस्तावित संपूर्ण मार्ग वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जबकि गैर–वन क्षेत्र में एक अस्थाई मार्ग प्रतीत हो रहा है, जिसका ढलान बहुत कम है। यदि प्रस्तावित लाभान्वित गांवों के लिये यदि मार्ग की आवश्यकता है तो वर्तमान अस्थाई मार्ग के साथ जोड़ा जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर–वन क्षेत्र में जो अस्थाई मार्ग प्रतीत हो रहा है, जिसका ढलान बहुत अधिक है एवं मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त नहीं हो सकते है, अस्थाई मार्ग ग्रामीणों के आने जाने का पैदल मार्ग है, जो खड़ी चौड़ाई से होकर गुलरता है। अतः उक्त अस्थाई मार्ग से मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है। **(संलग्नक–02 के अनुसार)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

26/12

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 1337 / 12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।